न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 18 / 2022

[illegible] पुत्री नातुराम, जाति जाट, निवासी ढंढारिया तन बजावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
––अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं।
––रेस्पोडेन्ट

––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अपील बखिलाफ आदेश दिनांक 30.03.2021 नामान्तरकरण संख्या 605

––

1. मो0 रफीक, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.05.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 30.03.2021 भूमि ग्राम माखर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश हैं कि अपीलान्ट ने एक भूमि नया खाता नम्बर 263 खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हैक्टर सीताराम पुत्र धानाराम व नया खाता संख्या 42 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 336, 355 कुल रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि जो कि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्रीमती चम्पा देवी पत्नी सीताराम जाति बंजारा के सम्पूर्ण हक हिस्से को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2020 को क्रय किया था। विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय झुंझुनूं में दिनांक 23.12.2020 पंजीबद्ध किया गया था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.12.2020 को भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा नम्बर 336, 355 कुल रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि में से सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था दिनांक 23.12.2020 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के पश्चात् अपीलान्ट ने विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। जिस पर पटवारी हल्का माखर ने नामान्तकरण संख्या 605 दर्ज करते हुए नामान्तरकरण दिनांक 18.01.2021 को खोला। नामान्तरकरण प्रपत्र में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में रेफरेन्स विचाराधीन हैं श्रीमान तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं ने खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेज रखा है। अतः नामान्तरकरण खारीज होने योग्य है। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि की खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेजे हुए है इसलिए नामान्तरकरण [illegible] योग्य है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण संख्या 605 दिनांक 30.03.2021 को [illegible] दिया। जबकि ग्राम पंचायत माखर के सरपंच द्वारा दिनांक 02.02.2021 को आगामी पंचायत बैठक [illegible] इसके पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 30.03.2021 को यह अंकन करते हुए की पटवारी [illegible] एवं आई.एल.आर की रिपोर्ट के अनुसार खारीज किया जाता है। तहसीलदार साहब का आदेश विधि के विपरीत है। कानून [illegible] यदि भूमि पर किसी प्रकार का विवाद अथवा भूमि के सम्बन्ध में कोई [illegible] करण विचाराधीन है तो [illegible] के सम्बन्ध में खोले गये नामान्तरकरण को प्रक्रियाधीन मानकर लम्बित रखा जाता है, नामान्तरकरण को खारीज नही किया जा सकता। लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में नामान्तरकण को खारीज करने की अंनुशंषा की है जो विधि के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 30.03.2021 को नामान्तरकरण को खारीज फरमा दिया। रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण खारीज करने से पूर्व नामान्तरकरण प्रपत्र में अपनी टिप्पणी की है कि पटवारी हल्का व आई.एल.आर. की रिपोर्ट के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:40 IST
Reason: SelfAttested

रीज किया जाता है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत माखर द्वारा जो अंकन किया गया कि गामी पंचायत बैठक में पेश करे इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 08.01.2021 विचाराधीन । रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से बिना किसी जांच के नामान्तरकरण को खारीज किया है। विक्रय पत्र नांक 23.12.2020 के अनुसरण में नामान्तरकरण भरने हेतु पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की छाया ते प्रस्तुत की जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 605 दिनांक 18.01.2021 खोला गया। मान्तरकरण के संबंध में पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के अंकित किया कि सरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा नम्बर 336, 355 कुल रकबा 1.7700 हैक्टर के सम्बन्ध में हसीलदार झुंझुनूं के द्वारा रेफरेन्स भेजा हुआ है। रेफरेन्स विचाराधीन होने के कारण नामान्तरकरण ग्रारीज होने योग्य है। श्रीमान जिला कलक्टर महोयद, झुझुनू के समक्ष एक रेफरेन्स सख्या 20/2019 स्तुत हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2021 को हो चुका है जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर होदय, झुझुनू ने दिनांक 22.02.2021 को रेफरेन्स खारिज फरमा दिया। जिस दिन श्रीमान के द्वारा फरेन्स संख्या 20/2019 का निर्णय किया जाता है उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 30.03.2021 नामान्तरकरण खारीज किया जाता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी जांच एवं तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत माखर के आदेश दिनांक 18.01.2021 को निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत माखर को आदेशित किया जावे कि अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कि अपीलान्ट ने एक भूमि नया खाता नम्बर 263 खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हैक्टर सीताराम पुत्र थानाराम व नया खाता संख्या 42 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 336, 355 कुल रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि जो कि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्रीमती चम्पा देवी पत्नी सीताराम जाति बंजारा के सम्पूर्ण हक हिस्से को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23. 12.2020 को क्रय किया था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.12.2020 को भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा नम्बर 336, 355 कुल रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि में से सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था दिनांक 23.12.2020 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के पश्चात् अपीलान्ट ने विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। जिस पर पटवारी हल्का माखर ने नामान्तकरण संख्या 605 दर्ज करते हुए नामान्तरकरण दिनांक 18.01.2021 को खोला। नामान्तरकरण प्रपत्र में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में रेफरेन्स विचाराधीन हैं श्रीमान तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं ने खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेज रखा है। अतः नामान्तरकरण खारीज होने योग्य है। इसी प्रकार भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि की खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेजे हुए है इसलिए नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण संख्या 605 दिनांक 30.03.2021 को खारिज कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत माखर के संरपच द्वारा दिनांक 02. 02.2021 को आगामी पंचायत बैठक में पेश करे इसके पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 30.03.2021 को यह अंकन करते हुए की पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर की रिपोर्ट के अनुसार खारीज किया जाता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोयद, झुंझुनूं के समक्ष एक रेफरेन्स सख्या 20/2019 प्रस्तुत हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2021 को हो चुका है जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झुझुनू ने दिनांक 22. 02.2021 को रेफरेन्स खारिज फरमा दिया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी जांच एवं तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत माखर के आदेश दिनांक 18.01.2021 को निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत माखर को आदेशित किया जावे कि अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:40 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि इस अदालत द्वारा रेफरेन्स खारीज कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। अदालत मातहत को जांच कर उक्त नामान्तरकरण भरना था। अदालत मातहत ने नियमानुसार कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत है कि न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं के द्वारा रेफरेन्स संख्या 20/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 के अनुसार रेफरेन्स खारीज किया जा चुका है। अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं को जांच कर नामान्तरकरण भरने के संबंध मे समुचित कार्यवाही करनी थी परन्तु रेफरेन्स संख्या 20/2019 दिनांक 22.02.2021 को खारीज होने के उपरान्त भी इसी आधार पर दिनांक 30.03.21 को नामान्तरकरण खारीज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा नामान्तकरण संख्या 605 ग्राम माखर के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 30.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:40 IST
Reason: SelfAttested